

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
/आदेश/

क्रमांक ई-1/345/2020/5/एक

भोपाल, दिनांक 31 दिसंबर, 2020

नीचे तालिका के खाना-2 में दर्शाये आवंटन वर्ष 2005 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान रूपये 1,44,200-2,18,200/- (पे-मैट्रिक्स-14) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना-3 में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	2.	3.
1.	श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार)	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार)
2.	श्री संजीव सिंह, वि.क.अ.-सह-आयुक्त, आदिवासी विकास तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास (अतिरिक्त प्रभार)	आयुक्त, आदिवासी विकास तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास (अतिरिक्त प्रभार)

2/ उपरोक्त भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वे आगामी मिड कैरियर फेस-4 प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।

3/ यह पदोन्नति आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावशील होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
इकबाल सिंह बैस
मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन

पृ. क्रमांक ई-1/345/2020/5/एक

भोपाल, दिनांक 31 दिसंबर, 2020

प्रतिलिपि:-

- संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
- रिसर्च आफिसर, कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन/राजस्व/आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
- अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।
- राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश।

31/12/2020